

विश्वभारती
शांतिनिकेतन

कार्यालय-आदेश

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय के 35 अस्थायी स्थिति वाले अनियत मजदूर के आश्रितों को भारत सरकार के नियमानुसार बाल शिक्षा भत्ता दिया जाएगा।

संदर्भ संख्या-प्रशा./जी/जी-15/1052

दिनांक : मार्च 06, 2015

हस्ता./-
कुलसचिव
विश्वभारती

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित :

1. प्रो-वाइस-चांसलर/सभी प्रोवोस्ट/सभी निदेशक/सभी भवन/विभाग के प्रिंसिपल
2. सभी विभाग प्रमुख/केंद्र
3. परीक्षा नियंत्रक
4. वित्त अधिकारी
5. सभी संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव/आईएओ/सहा. कुलसचिव
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य सुरक्षा अधिकारी/विश्वविद्यालय अभियंता
7. कुलपति के गोपनीय सचिव
8. कुलसचिव के निजी सचिव
9. हिंदी अधिकारी (हिंदी अनुवाद हेतु)
10. अनुभाग अधिकारी (बैठक) - कर्मसमिति को सूचित करें।
11. विश्वविद्यालय के वेब मास्टर से अनुरोध है कि वेबसाइट पर अपलोड करें।
12. फाइल

वर्मा
18/4/15